न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज0)

बइजलास श्री सौरभ भाम्बु (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :–19/24/प्रार्थना पत्र/बउनवान/अजयसिंह उर्फ गुड्डू उर्फ अजीत सिंह बनाम बिर्राज सिंह वगै. जीसीएमएस संख्या 2023/88

अजयसिंह उर्फ गुड्डू उर्फ अजीतसिंह आयु 59 वर्ष पुत्र श्री देवराजसिंह जाति राजपूत निवासी सुथालिया तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश

.....वादी

बनाम

1. बिर्राजसिंह आयु 57 वर्ष पुत्र श्री हनुमानसिंह जाति राजपूत
2. रघुवीरसिंह आयु 55 वर्ष पुत्र श्री हनुमानसिंह जाति राजपूत
3. जोधराजसिंह आयु 46 वर्ष पुत्र श्री हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासीगण रेनगढ़ तहसील मांगरोल जिला बारां
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साबह तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....प्रतिपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट
नियुक्त किये जाने बाबत् रिसीवरी

वकील प्रार्थी : श्री मनोज गालव
वकील अप्रार्थीगण :– श्री हरिओम प्रजापति
दायरा दिनांक: 29.10.2024 **निर्णय दिनांक :27.04.2026**

~ : निर्णय : ~

उक्त उनवान का वाद माननीय न्यायालय में पेश कर दिया हैं जिसमें कामयाबी की पूरी–– पूरी आशा है जिसमें प्रार्थी निम्नलिखित निवेदन करता है :–

यह कि हाल खाता संख्या 3 पुराना 3 ग्राम रेनगढ़ तहसील मांगरोल जिला बारां में प्रार्थी के खसरा नंबर 14 की 0.40 हैक्टयर , 152 रकबा 4.26 हैक्टयर, खसरा नंबर 152/337 रकबा 0.06 हैक्टयर व खसरा नंबर 35 की 2.35 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 7.07 हैक्टयर खातेदारी में स्थित हैं। मद नंबर 1 वाद पत्र में वर्णित आराजी में से विवाद सिर्फ खसरा नंबर 14 रकबा 0.40 हैक्टयर का हैं शेष आराजी का कोई विवाद नही हैं इसलिए यह वाद खसरा नंबर 14 रकबा 0.40 हैक्टयर बाबत् ही पेश किया जा रहा है। उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नंबर 14 के साबिक खसरा नंबर 31 कांकड वाला रकबा 17 बीघा पूर्व प्रार्थी की माता स्व.कमलकंवर पुत्र कल्याण सिंह के खाते में दर्ज थी। प्रार्थी की माता की यह आराजी इन्तकाल नंबर 28 से खातेदारी में दर्ज की गई थी। साबिक खसरा नंबर 31 के बाद सेटलमेंट दो नंबर बनाए गये जिनमें खसरा नंबर 14 रकबा 0.40 व खसरा नंबर 33 रकबा 2.35 हैक्टयर हैं। खसरा नंबर 14 व 33 के मध्य में से होकर पानी का माइनर निकल जाने से साबिक खसरा नंबर 31 दो भागों में बट गया, एक भाग खसरा नंबर 14 का व एक भाग खसरा नंबर 33 का हैं। जैसा कि राजस्व नक्शें से स्पष्ट हैं।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

प्रार्थी की माता कमलकंवर का स्वर्गवास प्रार्थी के बाल्य काल में ही हो गया था और उनकी मृत्यु के पश्चात इन्तकाल नंबर 115 से यह आराजी प्रार्थी के खाते में दर्ज की गई जिसका इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी ग्राम रेनगढ़ तहसील मांगरोल के संवत 2024 से 37 में हो रहा हैं। सेटलमेंट होने के पश्चात प्रार्थी के खाते में सवंत 2044 से 63 में खसरा नंबर 14 की 0.40, खसरा नंबर 33 की 2.35, खसरा नंबर 152 की 4.26 , खसरा नंबर 152/337 की 0.06 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 7.07 हैक्टयर दर्ज की गई। जैसा कि वाद पत्र में पूर्व में लिखा गया हैं कि प्रार्थी की माता का स्वर्गवास प्रार्थी के बाल्यकाल में ही हो गया था, बाद में पिता का स्वर्गवास होने के पश्चात प्रार्थी अपने मौसा श्री मेघराजसिंह के पास कोटा में रहने लगा और अपने खातेदारी की आराजी की व्यवस्था मुनाफा काश्त से ग्राम रेनगढ़ में कराने लगा। प्रार्थी अपनी कुल आराजी 7.07 हैक्टयर को मुनाफा काश्त पर बदल – बदल कर अपने परिवार के सदस्यों या अन्य लोगों को काश्त करवाता रहा और यह सिलसिला लगातार चलता रहा। गत 2 वर्षों अर्थात 2022 व 2023 में प्रार्थी ने खसरा नंबर 14 की आराजी 0.40 है. प्रतिपक्षी गण को मुनाफा काश्त पर 12000/– रूपये प्रतिबीघा के हिसाब से दी थी। दो साल काश्त करने के उपरान्त प्रतिपक्षी गण ने आराजी पर से कब्जा छोड़ने से मना कर दिया।

प्रार्थी ने माह मई 2024 के अन्तिम सप्ताह में अपनी आराजी खसरा नंबर 14 रकबा 0.40 हैक्टयर व खसरा नंबर 33 रकबा 2.35 हैक्टयर को पैमाइश कराने के लिए प्रार्थना पत्र तहसील में पेश किया और हल्का पटवारी अपने सहायक के साथ जब भूमि की पैमाइश करने ग्राम रेनगढ़ के माल में पहुंचा तो प्रतिपक्षी क्रम 1 ता 3 अपने सहयोगियों के साथ मौके पर आ गये और खसरा नंबर 14 रकबा 0.40 हैक्टयर की पैमाइश करने से मना कर दिया और कहां कि यह जमीन हमारी है, यह जमीन सिवायचक हैं, जिसके नोटिस हमारे पास आते है, हम जुर्माना अदा करते हैं, यह जमीन तुम्हें नही नापने दूंगा और लड़ाई – झगड़ा पर आमादा होने पर हल्का पटवारी खसरा नंबर 14 की पैमाइश किये बिना ही वापस लौट गया और प्रार्थी भी लड़ाई–झगड़े की आशंका से कोटा आ गया। संवत 2014 से लेकर आज तक खसरा नंबर 14 रकबा 0.40 हैक्टयर जिसके साबिक खसरा नंबर 31 रकबा 15 बीघा 18 बिस्वा था पर लगातार निर्बाध रूप से कब्जा काश्त प्रार्थी का चला आ रहा हैं लेकिन इस वर्ष प्रतिपक्षी गण ने पैमाइश नही करने दी और कब्जा छोड़ने से मना कर दिया तथा लड़ाई–झगड़ा करने पर आमादा हो गये। उक्त कारण से प्रार्थी के लिये यह आवश्यक हो गया कि प्रतिपक्षी गण से अपने खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 14 रकबा 0.40 हैक्टयर का कब्जा छुडाया जावें क्योंकि प्रार्थी अकेला हैं, कोटा में निवास करता हैं। प्रतिपक्षी गण संख्या में अधिक हैं, लडाकू–झगडालू किस्म के हैं,उनसे प्रार्थी मुकाबला नही कर सकता इसके अलावा प्रार्थी शान्ति में विश्वास रखता हैं। इसलिए प्रार्थी चाहता हैं कि प्रतिपक्षी क्रम 4 राज्य सरकार इस सम्मानीय न्यायालय के आदेश से प्रार्थी को आराजी का कब्जा संभलाया जावें और प्रतिपक्षी क्रम 1 ता 3 को उक्त आराजी से बेदखल किया जावें क्योंकि प्रतिपक्षी क्रम 1 ता 3 के पास ऐसा कोई दस्तावेज या अन्य कोई आधार नही हैं कि वह प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी पर कब्जा बनाये रख सकें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

(सौरभ भाम्बू)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

प्रतिपक्षी गण को बेदखल नही किया गया तो प्रतिवर्ष 30 हजार रूपया मुनाफा काश्त का नुकसान होगा जो प्रार्थी के लिये बहुत बड़ी आर्थिक क्षति है। इसके लिए प्रतिपक्षी गण को बेदखल किया जाना आवश्यक हैं तब तक प्रतिपक्षी गण बेदखल नही हो जाते हैं तब तक आराजी को राज्य सरकार के कब्जे में लिया जाना न्यायसंगत होगा जिससे शांति भी बनी रहे और प्रार्थी को नुकसान भी न हो। इसके लिए आराजी पर रिसीवरी करवाये जाने हेतु प्रथक से प्रार्थना पत्र सम्मानीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। प्रतिपक्षी क्रम 1 ता 3 ने प्रार्थी को आराजी खसरा नंबर 14 रकबा 0.40 हैक्टयर पर गत दो वर्षों से ही प्रार्थी की सहमति से मुनाफा काश्त से खेती की थी लेकिन अब आराजी से कब्जे नही छोड़ रहे हैं। प्रार्थी का प्राइमाफेसी केस हैं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में हैं। प्रार्थी संवत 2014 से आज तक आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है और तुलनात्मक क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में हैं। यदि प्रार्थी को अप्रार्थीगण काश्त नही करने दे रहे है जिससे प्रार्थी को तीस हजार रूपये प्रतिवर्ष की आर्थिक क्षति हो रही हैं जो उसे प्रतिवर्ष मुनाफा काश्त से मिलती थी। जब तक वाद का निर्णय न हो जावे तब तक आराजी पर तहसीलदार मांगरोल को रिसीवर नियुक्त किया जाना न्यायसंगत होगा या अप्रार्थीगण काश्त करना चाहे तो प्रतिवर्ष तहसील मांगरोल में 30 हजार रूपये वाद के निर्णय तक जमा कराकर कृषि कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षति नही होगी। आराजी को लेकर कोई लड़ाई – झगड़ा नही होगा, शान्ति बनी रहेगी। वैसे भी राज्य सरकार अप्रार्थी क्रम 4 का दायित्व है कि प्रार्थी की खातेदारी की सुरक्षा करें और प्रार्थी को आर्थिक क्षति होने से बचावें।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 1 में वर्णित आराजी खसरा नंबर 14 रकबा 0.40 हैक्टर पर तहसीलदार मांगरोल को ताफैसला दावा रिसीवर नियुक्त करने की कृपा करें या अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 को 30 हजार रूपये प्रतिवर्ष तहसील मांगरोल के राजकोष में जमा करने हेतु आदेश प्रदान करें, अन्य कोई सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन् तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अप्रार्थीगण 1 ता 3 की ओर से दिनांक 16.03.2026 को निम्नानुसार जवाब पेश किया गयाः–

1. प्रार्थना पत्र की मद नंबर 1 राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है।
2. प्रार्थना पत्र की मद नंबर 2 खसरा नंबर 14 पर विवाद होना अस्वीकार है। उक्त आराजी पर अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 का राज0 काश्तकारी अधिनियम के लागू होने के पूर्व से ही अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त हैं। शेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है।
3. प्रार्थना पत्र की मद नंबर 3 में राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित तथ्य स्वीकार हैं लेकिन खसरा नंबर 14 पर स्व. कमलकंवर पुत्री कल्याणसिंह का कोई कब्जा काश्त नही था जो बिना कब्जे काश्त के खातेदारी में दर्ज की गई है। जिस पर प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नही होता है। अप्रार्थी उक्त आराजी पर अपने पूर्वजों के समय से करीबन 70-- 80 वर्ष से काबिज काश्त हैं।
4. प्रार्थना पत्र की मद नंबर 4 प्रार्थी के राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित हैं तथा खसरा नंबर 14 की जानकारी प्रार्थी को भी थी मात्र प्रतिवादीगण को परेशान करने की नियत से वाद पेश कर रहे हैं। शेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज हैं।

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

5. प्रार्थना पत्र की मद नंबर 5 आंशिक स्वीकार हैं प्रार्थी ने आराजी पर कभी काश्त नही की हैं और विवादित आराजी पर कभी भी काश्त नही है अप्रार्थीगण ही उक्त आराजी को काश्त करते चले आ रहे हैं।
6. प्रार्थना पत्र की मद नंबर 6 आंशिक स्वीकार हैं प्रार्थी ने विवादित आराजी पर कभी भी काश्त नही हैं और अप्रार्थीगण ही उक्त आराजी को काश्त करते चले आ रहे हैं।
7. प्रार्थना पत्र की मद नंबर 7 अस्वीकार हैं। शेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज हैं।
8. प्रार्थना पत्र की मद नंबर 8 गलत तथ्यों पर होने से अस्वीकार हैं, प्रार्थी को विवादित आराजी खसरा नंबर 14 अप्रार्थीगण के कब्जें काश्त में होने की जानकारी पटवारी द्वारा सीमाज्ञान करने पर हुई तथा प्रार्थी को विवादित आराजी की जानकारी होने पर जानबूझकर बिना किसी आधार के मात्र खाते में होने से अप्रार्थीगण को बेदखल करने के लिय झूठा वाद/प्रार्थना पत्र पेश कर रहे हैं शेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है।
9. प्रार्थना पत्र की मद नंबर 9 पूर्णतया काल्पनिक व मिथ्या होने से अस्वीकार है। शेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज हैं।
10. प्रार्थना पत्र की मद नंबर 10 अस्वीकार है। शेष विवरण विशेष कथन में दर्ज है।
11. प्रार्थना पत्र की मद नंबर 11 अस्वीकार हैं। अप्रार्थीगण को प्रार्थी द्वारा कभी भी मुनाफाकाश्त पर आराजी काश्त नही की बल्कि अप्रार्थीगण पुर्वजों के समय से ही काबिज काश्त हैं।
12. प्रार्थना पत्र की मद नंबर 12 अस्वीकार है। प्रार्थी का जब विवादित आराजी पर 70–80 वर्षों से कब्जा काश्त ही नही है तो अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की बेदखली नही करा सकते और न ही आराजी पर किसी भी प्रकार से रिसीवर नियुक्त किये जाने की आवश्यकता हैं। शेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है, प्रार्थना प्रार्थी अस्वीकार है।

विशेष कथन व आपत्तियां

1. विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 14 पर अप्रार्थीगण सदैव से काबिज काश्त है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने के पूर्व से ही अपने पुर्वजों के समय से काबिज काश्त हैं। उक्त आराजी राजस्व ग्राम रेनगढ़ अंतिम सीमा (कांकड) पर स्थित है तथा अप्रार्थीगण ग्राम रेनगढ़ कांकड क्षेत्र में सिवायचक आराजी खसरा नंबर 27 एवं खसरा नंबर 14 पर काबिज काश्त हैं तथा समय – समय पर जारी 91 का जुर्माना जमा कराते आ रहे हैं।
2. प्रार्थी ने विवादित आराजी पर कभी भी काश्त नही की है और न ही प्रार्थी के पूर्वजों द्वारा उक्त खसरा नंबर 14 पर कोई काश्त नही की थी तथा प्रार्थी के पूर्वजों ने ही विवादित आराजी पर काश्त में असमर्थता होने से एवं उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण के पूर्वजों की काश्त होने से पूवजों द्वारा पारस्परिक सहमति से अप्रार्थीगण के पूर्वजों को भूमि दी थी। जिसकी जानकारी प्रार्थी को भी है लकिन प्रार्थी जान–बूझकर भूमि की कीमत अधिक होने से ,बैचान करने की नियत से वाद/प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है, जो काबिले खारिज योग्य है।
3. अप्रार्थी के पूर्वजों के पास सरकारी भूमि के साथ विवादित आराजी काबिज काश्त होने से प्रार्थी के पूर्वजों ने भूमि को अप्रार्थीगण के पूर्वजों को ही संभला दिया व भूमि पर अधिकारी बना दिया था लेकिन भूमि खातेदारी में प्रार्थी के दर्ज हो गई जिस पर प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नही होता हैं तथा प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण भूमि कानून के प्रवर्तन पूर्व से ही काबिज काश्त हैं तथा अप्रार्थीगण भूमि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

पर से प्रार्थी के खातेदारी खारिज कराकर स्वयं के नाम खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी व नालिशी हैं।

4. प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी आराजी पर कभी भी काश्त नही की और न प्रार्थी के पूर्वजों ने काश्त की हैं जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व से ही अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर काबिज काश्त हैं जिस पर प्रार्थी को कोई अधिकार शेष नही रहता और न ही किसी भी प्रकार से विवादित आराजी पर रिसीवर नियुक्त करने की आवश्यकता हैं।

अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थना पत्र को खारिज करमाये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार मांगरोल से मौका एवं स्थिति की रिपोर्ट लिया जाना आवश्यक है। तहसीलदार मांगरोल के पत्र क्रमांक राजस्व/2026/2184 दिनांक 22.04.2026 से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्नानुसार हैं।

ग्राम रेनगढ़ की आराजी खसरा नंबर 14 रकबा 0.40 हैक्टर का मौका एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नंबर 14 रकबा 0.40 हैक्टर आराजी अजय सिंह उर्फ गुड्डू उर्फ अजीत सिंह पुत्र देवराज सिंह जाति राजपूत सा. सुगविया तहसील कांवरा जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश के खाते दर्ज हैं। परन्तु मौके पर उक्त आराजी पर कब्जा रघुवीर सिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी रेनगढ़ का हैं। उक्त आराजी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद बना हुआ हैं, इस प्रकार उक्त आराजी विवादित है। विवादित आराजी को लेकर कभी भी बढ़ा विवाद हो सकता हैं। उक्त आराजी पर रिसीवर नियुक्त किया जाकर रिसीवरी किया जाना उचित होगा ताकि कानून व्यवस्था बनी रही। इस प्रकार मौका एवं रिकॉर्ड की रिपोर्ट तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त होने के बाद प्रार्थना पत्र एवं उपलब्ध दस्तावेजात, जवाब प्रार्थना पत्र तथा तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। दोनों पक्षों के बीच विवादित आराजी को लेकर भविष्य में कभी भी विवाद बढ़ सकता हैं, दोनों पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न न हो तथा कानून व्यवस्था बनाऐ रखने के मध्यनजर विवादित आराजी खसरा नंबर 14 रकबा 0.40 हैक्टर वाके ग्राम रेनगढ़ तहसील मांगरोल जिला बारां पर तहसीलदार मांगरोल को ताफैसला मूल वाद रिसीवर नियुक्त किया जाना न्यायोचित होगा ताकि आराजी को लेकर कोई लडाई–झगडा नहीं होगा तथा कानून व्यवस्था बनी रहेगी।

:: क्रियात्मक आदेश ::

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बहस वकील प्रार्थी, संलग्न दस्तावेजों एवं राजस्व रिकोर्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212बी आर0 टी0 एक्ट स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नंबर 14 रकबा 0.40 हैक्टर वाके ग्राम रेनगढ़ तहसील मांगरोल जिला बारां पर तहसीलदार मांगरोल को ताफैसला मूल वाद रिसीवर नियुक्त किया जाता है एवं तहसीलदार मांगरोल को आदेशित किया जाता हैं कि विवादित आराजी पर प्रतिवर्ष निलामी बोली पुकराई जाकर मुनाफा काश्त की राशि राजकोष में जमा करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील तामील शामिल मूल वाद हो।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

सौरभ भाम्बू (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

सौरभ भाम्बू
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल